उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि

1. मनुष्य के मरने के बाद उसकी सम्पत्ति उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है :-

प्राय: समाज में हर व्यक्ति के पास चल और अचल सम्पत्ति होती है जिसको वह जीवित रहते हुए प्रयोग में लाता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद वह अपनी सम्पत्ति का न तो प्रयोग कर सकता है और न ही उसकी सुरक्षा कर सकता है। इसलिए उसकी इस सम्पत्ति का प्रयोग एवं सुरक्षा का अधिकार उसके उत्तराधिकारियों को दिया जाता है। मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। इसलिए मनुष्य के मरने के बाद उसकी सम्पति के मालिक भी उनके उत्तराधिकारी होते हैं। जिस धर्म का मृतक व्यक्ति होता है अर्थात वह हिन्दू है तो हिन्दू विधि के अनुसार उसके उत्तराधिकार मृतक व्यक्ति की सम्पत्ति से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं इसी प्रकार यदि मुसलमान है तो मुस्लिम विधि के अनुसार मृतक व्यक्ति का वारिस सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त कर सकता है लेकिन जहां तक मृतक द्वारा छोड़ी गई अचल सम्पति के रूप में ऋण या प्रतिभूमि का प्रश्न है, उसमें मृतक व्यक्ति चाहे हिन्दू हो या चाहे मुसलमान हो या किसी और धर्म का हो, उस मृतक की ऋण या प्रतिभूमि को प्राप्त करने हेतु भारतीय अधिनियम की धारा-370 के अंतर्गत उस उत्तराधिकारी को न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है, क्योंकि उत्तराधिकार प्रमाण मिलने के बाद ही ऐसे मृतक द्वारा छोड़ी गई सम्पति , उदाहरणार्थ-बैंक के लाकर में छोड़ा गया उसका धन बैंक में जमा धनराशि डिवेन्चर, बचत पत्र, शेयर, बीमा पालिसी का धन, पेंशन का धन प्राप्ति के अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं।

2. उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है :-

मृतक व्यक्ति द्वारा जो अचल सम्पत्ति को अपने पीछे छोड़ जाता है, व सम्पत्ति यदि अन्य व्यक्यिों के पास होती है तो वह व्यक्ति मृतक की चल सम्पत्ति को लौटाने के लिए इस बात की सावधानी बरतेगा कि मृतक की सम्पत्ति को उसी के वास्तविक उत्तराधिकारी को ही लौटाई जाए क्योंकि यदि कोई गलत व्यक्ति मृतक की सम्पत्ति को प्राप्त कर लेता है तो उसकी जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति पर थोपी जाती है जिसने उस मृतक की अचल सम्पत्ति को दिया गया था, परन्तु जहां मृतक चल सम्पत्ति के बावत न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाता है तो उसे ऐसे देनदार व्यक्ति के लिए दी जाती है कि वह मृतक की सम्पति को उसी व्यक्ति को दे दें जिसके नाम न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। इसलिए प्राय: देखा गया है कि जहां मृतक की अचल सम्पत्ति के बावत उत्तराधिकारियों में आपस में झगड़ा होता है वहां सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराधिकारियों को न्यायालय में मृतक की अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा जाता है। जिस व्यक्ति के पास मृतक की अचल सम्पति होती है वह बिना किसी जोखिम उठाये उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में उल्लिखित धनराशि हो या जी.पी.एफ. धनराशि हो या मृतक की पेंशन हो, उसमें प्राय: मृतक द्वारा जो नामिनी नियुक्त कर दिया जाता है यह धनराशि देय हो सकती है। संबंधित विभाग यहि चाहे तो वह बिना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के इस धनराशियों का भुगतान कर सकता है परन्तु जहां ऐसे मामले में संदेह हो या एक से अधिक दावेदार हो तो निश्चय ही संबंधित विभाग अपनी-अपनी सुरक्षा के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का सहारा लेते हुए ऐसी धनराशि को उन्हीं व्यक्तियों को दे सकता है जिनका नाम न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अत: जहां पर देनदार व्यक्ति उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र के आधार पर मृतक की अचल सम्पत्ति का भुगतान कर देता है तो उसका दायित्व खत्म हो जाता है।

3. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अंतर्गत कर्ज वचन पत्र प्रतिभूमि इत्यादि अर्थात अचल सम्पत्ति क्या अभिप्रास है :-

मृतक व्यक्ति द्वारा चल एवं अचल सम्पत्ति को अपने पीछे छोड़ जाता है जिसमें केवल अचल सम्पत्ति में ऋण इत्यादि की बावत ही न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। जहां मृतक द्वारा छोड़ी गई अचल सम्पत्ति का प्रश्न है, उसके लिए मृतक के उत्तराधिकारियों को अपने-अपने हिस्से की मांग हेतु न्यायालय में वाद योजित करने की जरूरत पड़ती है। जहां पर पक्षकारों के बीच में आप में झगड़ा नहीं होता हो वहां ऐसे संबंधित उत्तराधिकारी मृतक द्वारा छोड़ी गई चल सम्पत्ति के बावत यदि वह कृषि भूमि हो तो नामान्तरण (म्यूटेशन) हेतु प्रार्थना पत्र देकर सम्पत्ति को अपने नाम करवा सकते हैं और यदि भूमि, मकान या अन्य कोई अचल सम्पत्ति हो तो उसके लिए नगरपालिका में अपना नाम चढ़वा सकते हैं परन्तु जहां पर मृतक के उत्तराधिकारियों के बीच अपने अपने हिस्सों का झगड़ा होता है या वह उत्तराधिकारी मानने से इंकार करते हैं तो उस स्थिति में बंटवारे का मुकदमा सिविल न्यायालय में किया जाता है जिसमें उत्तराधिकारी अपने हक में मृतक द्वारा छोड़ी गई अचल सम्पत्ति जो यदि कर्जे वचन पत्र, प्रतिभूति के अंतर्गत परिभाषा में आती है उसके बावत केवल सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-370 के अंतर्गत मृतक द्वारा छोड़े गए कर्जे वचन पत्र इत्यादि अचल सम्पत्ति की बावत ही उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। उसमें प्रतिभूमि के अंतर्गत यह कौन-कौन अचल सम्पतियों से संबंधित होती है। इस संबंध में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 370 (2) में प्रतिभूति को जो परिभाषित किया गया है, वह इस प्रकार है :-

इस भाग के प्रयोजनों के लिए प्रतिभूमि से अभिप्रेत हैं-

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई वचन पत्र, डिवेन्चर, स्टॉक या अन्य प्रतिभूमि।

(ख) भारत के राजस्व पर संसद के अधिनियम द्वारा भारित कोई बन्ध पत्र, डिबेन्चर या वार्षिकी।

(ग) किसी कम्पनी या अन्य निगमित संस्था का कोई स्टांक या डिबेन्वर या उसमें शेयर।

(घ) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसके निमित जारी किया गया कोई डिबेन्चर या धन के लिए कोई अन्य प्रतिभूमि।

(ड़) कोई अन्य प्रतिभूमि जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए प्रतिभूमि के रूप में घोषित करें।

इस परिभाषा से यह विदित होता है कि मृतक द्वारा अचल सम्पत्ति की प्रकृति में कर्जे जिसमें मृतक का रखा गया धन, शेयर, जेवर आदि प्रकृति की सम्पत्ति है और न्यायालय द्वारा पारित डिक्री भी ऐसे कर्जे की परिभाषा में आती है। जिसमें बावत मृतक के उत्तराधिकारियों को मृतक की ऐसी कर्जे, अचल सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। अत: इसी प्रकृति की अन्य अचल सम्पत्ति जो कर्ज की प्रकृति के अनुकूल हो इत्यादि के लिए केवल न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करके कर्जे वचन पत्र इत्यादि को ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया जा सकता है जिसके पास मृतक ने ऐसी सम्पत्ति छोड़ी हो।

4. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र किस न्यायालय में दिया जाना होगा :-

जब भी किसी मृतक व्यक्ति को कर्ज या प्रतिभूमि संबंधी अचल सम्पत्ति के बावज उसके उत्तराधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है तो उसके लिए आवेदन उसी न्यायालय में किया जायेगा जिसमें आवेदक निवास करता हो परन्तु जहां पर ऐसी स्थिति हो कि मृतक का कोई नियमित निवास नहीं था उस स्थिति में जहां पर मृतक की मृत्यु हुई हो उस स्थान के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में यह पिटीशन दी जा सकती है। लेकिन यहां मृतक का निवास स्थान स्पष्ट हो तो निश्चय ही प्रार्थना पत्र उसी न्यायालय में देय होगा जहां पर मृतक का निवास था। उदाहरणतया यदि मृतक चमोली का रहने वाला है और वह दिल्ली में कुछ समय के लिए नौकरी करता था परन्तु उसका निश्चित निवास स्थान नहीं था और उसके द्वारा पीछे छोड़ी गई ग्रेच्यूटी, जी.पी.एफ. या बैंक में रखी धनराशि के बावत मृतक के उत्तराधिकारियों में कोई झगड़ा है या संबंधित व्यक्ति को देने में कोई परेशानी है तो उस स्थिति में मृतक की इस सम्पत्ति के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का प्रार्थना पत्र चमोली में प्राप्त करना होगा क्योंकि मृतक स्थायी रूप से चमोली में ही निवास करता था क्योंकि मृतक का दिल्ली में कोई नियत स्थान नहीं था। जिला न्यायालय या उसके समकक्ष न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना होगा। इस बावत व्यवस्था भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 371 में की गई है जो कि उपबन्धित करता है कि प्रमाण पत्र अनुदत्त करने की अधिकारिता रखने वाला न्यायालय वह जिला न्यायाधीश जिसकी अधिकारिता के भीतर मृतक अपनी मृत्यु के समय मामूली तौर से निवास करता था या यदि उस समय उसका कोई नियत निवास स्थान नहीं था तो जिला न्यायाधीश जिसकी अधिकारिता के भीतर मृतक की सम्पति का कोई भाग पाया जाता है। वह न्यायालय इस भाग के अधीन प्रमाण पत्र अनुदत्त कर सकेगा।

जहां तक प्रार्थना पत्र के प्रारूप का प्रश्न है उसमें मुख्यत: उन सभी उत्तराधिकारियों के ना का भी उल्लेख किया जाता होगा एवं मृतक द्वारा छोड़ी गई चल एवं प्रतिभूति संबंधी अचल सम्पत्ति में किसका कितना हिस्सा होगा उसके लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग की जानी होगी। इसके लिए अधिनियम धारा-372 उपबन्धित करती है जो इस प्रकार है-

प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने हेतु ऐसे प्रमाण पत्र के लिए आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता वादी द्वारा उसके निमित्त किसी वाद को हस्ताक्षरित और सत्यापित करने के लिए विहित रीति से आवेदक द्वारा या उसके निमित हस्ताक्षरित और सत्यापित अर्जी द्वारा जिला न्यायाशीश को किया जायेगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जायेगी अर्थात-

(क) मृतक की मृत्यु का समय।

(ख) मृतक का उसकी मृत्यु के समय मामूली निवास स्थान और यदि ऐसा निवास स्थान उस न्यायाधीश की, जिसे आवेदन किया गया है, अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर नहीं था, तब उन सीमाओं के भीतर जहां मृतक की सम्पति है।

(ग) मृतक का कुटुम्ब या अन्य निकट के नातेदार और उस निवास स्थान।

(घ) वह अधिकार जिस पर अर्जीदार दावा करता है।

(ड़) प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए या यदि वह अनुदत्त किया गया है तो उसकी विधि मान्यता के लिए इस अधिनियम की धारा-370 या किसी अन्य उपलबंध के अधीन किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अड़चन का अभाव। और

(च) वे ऋण और प्रतिभूतियां जिनकी बावत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है।

(2) यदि अर्जी में ऐसा कोई प्राक्कथन है जिसके उसे सत्यापित करने वाले व्यक्ति को मिथ्या होने का या तो ज्ञान है या विश्वास है या उसके सत्य होने का विश्वास नहीं है तो उस व्यक्ति के बारे में ये माना जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड सहिता की धारा 198 के अधीन अपराध किया है।

(3) उत्तराधिकारी अवयस्क है तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का प्रार्थना पत्र उनकी ओर से अभिभावक द्वारा दिया जाना होगा।

5. कोई भी उत्तराधिकारी केवल अपने हिस्से के लिए भी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम :-

किसी भी मृतक द्वारा छोड़ी गई चल सम्पत्ति के लिए उत्तराधिकार के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए जरूरी नहीं है कि सभी सत्ताधिकारी संयुक्त रूप से अपने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करें, बल्कि कोई भी उत्तराधिकारी अपने हिस्से के संबंध में सक्षम न्यायालय में आवेदन देकर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। चूंकि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का प्रार्थना पत्र देने के साथ-साथ मृतक द्वारा जो अचल सम्पत्ति कर्ज के रूप में छोड़ी है उसके मूल्य के अनुसार ही निर्धारित धनराशि पर कुछ प्रतिशत कोर्ट फीस जमा करनी होती है जिस कोर्ट फीस की धनराशि से कोर्ट स्टाम्प पेपर खरीदकर न्यायालय उत्तराधिकार प्रमाण पत्र

जारी करता है इसलिए यदि किसी मृतक द्वारा एक लाख की एफ.डी.आर. अपने पीछे छोड़ी गई है और बैंक के अधिकारी मृतक की इस धनराशि को बिना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के भुगतान न करें और ऐसे मृतक द्वारा अपने पीछे चार उत्तराधिकारियों को छोड़ गया हो तो प्रत्येक उत्तराधिकारी पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उस स्थिति में यदि केवल एक ही उत्तराधिकारी मृतक की इस सम्पत्ति में से 25 हजार रुपये की धनराशि को प्राप्त करना चाहता है तो वह अपने हिस्से के लिए 25 हजार रुपये की धनराशि को प्राप्त करना चाहता है तो वह अपने हिस्से के लिए 25 हजार रुपये के बावत सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर इस 25 हजार रुपये की धनराशि पर कोर्ट फीस देनी होगी और न्यायालय उचित कार्यवाही करने के बाद इस 25 हजार रुपये के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करनेमें सक्षम होगा।

6. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से मलिकियत (टाइटिल) का निर्धारण नहीं किया जाता-

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का मुख्य उद्देश्य मृतक की ऋण एवं प्रतिभूति संबंधी अचल सम्पत्ति के अंतर्गत कब्जा जिस व्यक्ति के पास होता है उसको सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ इस बात की भी सुविधा प्राप्त करनी होती है कि मृतक द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति के बावत टम्परेरी रूप से इसका समाधान हो जाय क्योंकि यदि पक्षकारों के बीच में भविष्य में कोई झगड़ा हो तो उसमें कई वर्ष लग जाते हैं उसमें अंतिम फैसला होने तक मृतक द्वारा छोड़ी गई अचल सम्पत्ति खटाई में न पड़ सके और जहां तक देनदार व्यक्ति का प्रश्न है उसका हित भी किसी जोखिम में न रहे इसलिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र केवल मृतक की सम्पत्ति के बारे में किसी प्रकार की मलिकियत का निर्धारण नहीं किया जाता है। अत: यदि पक्षकारों के बीच गहरे झगड़े हो और वे एक दूसरे को मृत का उत्तराधिकारी न मानते हो तो निश्चय ही सिविल न्यायालय द्वारा जो वास्तविक उत्तराधिकारी पाया जायेगा वह अन्ततोगत्वा मृतक की सम्पत्ति का असली वारिस माना जायेगा। यदि किसी व्यक्ति के नाम उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है और उसे सिविल न्यायालय द्वारा वास्तविक वारिस नहीं पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को मृतक की सम्पत्ति को उस व्यक्ति को लौटाना होगा जो मृतक का वास्तविक उत्तराधिकारी विधिक रूप से घोषित किया जाता है। इस प्रकार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मृतक के उत्तराधिकारियों के मलिकियत अधिकारों को अंतिम रूप से निस्तारण नहीं कर सकता।

7. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की कार्यवाही न्यायालय के समक्ष संक्षिप्त प्रकृति की होगी :-

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का दायरा बड़ा सीमित होता है क्योंकि मृतक के उत्तराधिकारियों का अंतिम निर्णय नहीं होता जो वास्तव में सिविल न्यायालय द्वारा होता है इसलिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने में न्यायालय जिसको प्रथम दृष्टया उत्तराधिकारी पाता है, उसके हक में वह उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 373 में आवेदन सुनवाई की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है जो इस प्रकार है-

आवेदन की प्रक्रिया :-

(1) यदि जिला न्यायाधीश का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन को ग्रहण करने के लिए आधार है तो वह उसकी सुनवाई के लिए एक दिन नियत करेगा और आवेदन की और उसकी सुनवाई के लिए नियम दिन की सूचना।

(क) ऐसे किसी व्यक्ति पर तामील कराएगा जिसे न्यायाधीश की राय में आवेदन की विशेष सूचना दी जानी चाहिए और

(ख) न्याय सदन के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगवाएगा और ऐसी अन्य रीति से यदि कोई हो, प्रकाशित कराएगा जैसा न्यायाधीश इस निमित्त उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए ठीक समझे और नियत दिन को या उसके पश्चात् यथाशक्त शीघ्र प्रमाण पत्र के अधिकार का संक्षिप्त रीति से विनिश्चय करने के लिए अग्रसर होगा।

(2) जब न्यायाधीश यह विनिश्च करता है कि उसके लिए आवेदन का अधिकार है तो न्यायाधीश उसे प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए आदेश देगा।

(3) यदि न्यायाधीश ऐसे विधि या तथ्य के प्रश्नों का अवधारण किये बिना जो संक्षिप्त कार्यवाहियों में अवधारण के लिए अधिक जटिल और कठिन प्रतीत होते हैं, प्रमाण पत्र के अधिकार का विनिश्चय नहीं कर सकता है तो भी यदि आवेदन प्रमाण पत्र के लिए प्रथम दृष्टया सर्वोत्तम हक रखने वाला प्रतीत होता है तो वह उसे प्रमाण पत्र का अनुदान कर सकेगा।

8. न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की विषय वस्तु में किन बातों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है :-

जब न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की प्रथम दृष्टया जांच बन्द आवेदन के नाम उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करना उचित पाया गया है तो उस स्थिति में निश्चय ही आवेदन के हक में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करना होता है। यह उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अकेले या संयुक्त रूप से अलग-अलग पक्षकारों के नाम जारी किया जा सकता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 374 में स्पष्ट कर दिया गया है कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में किन-किन बातों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, इस बावत मुख्यत: मृतक द्वारा अपने पीछे छोड़े गए शेयर हो तो उन शेयरों पर ब्याज, स्थानान्तरण करना आदि बातों का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा ताकि ऐसे उत्तराधिकारा प्रमाण पत्र द्वारा मृतक के उत्तराधिकारी की जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनका यह व्यापक पत्र द्वारा मृतक के उत्तराधिकारी को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनका वह व्यापक रूप से उपयोग कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसके लिए निश्चय ही जितनी धनराशि की ऋण या प्रतिभूति संबंधी अचल सम्पति के बावत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी होता है उसी मात्रा के अनुसार ही कोर्ट फीस जमा की जाती है। जिस कोर्ट फीस

की धनराशि से स्टाम्प पेपर आदि कर उस पर ही उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस बावत पूर्ण विवरण अधिनियम की धारा 374 में है जो इस प्रकार है।

जब जिला न्यायाधीश कोई प्रमाण पत्र अनुदत्त करता है तब वह उन ऋणों और प्रतिभूतियों को विनिर्दिष्ट करेगा जो प्रमाण पत्र के लिए आवेदन में उपवर्णित है और उसके द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रमाण पत्र अनुदत्त किया गया है, प्रतिभूतियों या उनमें से किसी-

(क) पर ब्याज या लाभांश प्राप्त करने या,

(ख) परक्रामण या अन्तरण करने या,

(ग) पर ब्याज या लाभांश प्राप्त करने और उनका पराक्रामण या अन्तरण करने या उनमें से कोई कार्य करने के लिए सशक्त कर सकेगा।

9. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को रद्द भी किया जा सकता है :-

कभी-कभी गलत व्यक्ति द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र धोखे से न्यायालय से जारी कराया जाता है और जब मृतक के वास्तविक उत्तराधिकारियों की जानकारी होती है तो उनको अधिकार है कि ऐसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए न्यायाल में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जिसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 288 में व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय को धोखा देकर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करवा लेता है तो उसे न्यायालय द्वारा रद्द करवाया जा सकता है। कभी-कभी स्वयं न्यायालय को भी स्वत: ज्ञात हो जाय कि उसके द्वारा जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया है वह भी धोखे से दिया गया है तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह ऐसे जारी किए गये उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है।

10. प्रमाण पत्र का प्रभाव :-

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र किसी प्रकार की न्यायालय की डिक्री की डिक्री का रूप नहीं होता बल्कि यह मात्र एक प्रमाण पत्र होता है जो मृतक की कर्ज या वचन पत्रों की सम्पत्ति को प्राप्त करने का अधिकार उत्तराधिकारी को देने के साथ-साथ उस अचल सम्पत्ति के देनदार को सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी बावत अधिनियिम की धारा 381 में इसके प्रभाव का उल्लेख इस प्रकार किया गया है इस भाग के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जिला न्यायाधीश का प्रमाण पत्र उसमें विनिर्दिष्ट ऋत्रों के देनदार या ऐसी प्रतिभूमियों पर दायी है, और धारा 370 के किसी उल्लंघन या किसी अन्य त्रुटि के होते हुए भी ऐसे सभी व्यक्तियों को, उस व्यक्ति को जिसे प्रमाण पत्र उनुदत्त किया गया था, ऐसे ऋणों की बावत सद्भावित रूप से किए गए सभी संदायों या उसके साथ प्रतिभूतियों की बावत किये गये सभी व्यवहारों के संबंध में पूर्ण परित्राण प्रदान करेगा।

11. न्यायालयों द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर देय कोर्टफीस का विवरण :-

जब उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया जाता है तो जितनी कर्जे या बचनपत्र इत्यादि सम्पत्ति के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग की जाती है तो उस सम्पत्ति पर निर्धारित कोर्टफीस न्यायालय में जमा की जाती है जिस धनराशि से न्यायालय द्वारा स्टाम्प पेपर खरीद कर उसके ऊपर यह उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह कोर्टफीस की क्या मात्रा है, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

1.	20,000.00 रुपये तक	2.50 प्रतिशत
2.	20,000.00 रुपये से 50,000.00 रुपये तक	3.35 प्रतिशत
3.	50,001.00 रुपये से 1,00,000.00 रुपये तक	3.75 प्रतिशत
4.	1,00,001.00 रुपये से 2,00,000.00 रुपये तक	5.00 प्रतिशत
5.	2,00,001.00 रुपये से 3,00,000.00 रुपये तक	6.25 प्रतिशत
6.	3,00,001.00 रुपये से 4,00,000.00 रुपये तक	7.50 प्रतिशत
7.	4,00,000.00 रुपये से 5,00,000.00 रुपये तक	8.25 प्रतिशत
8.	8,00,000.00 रुपये से अधिक	8.75 प्रतिशत।

इस बावत प्रमाण पत्र का क्या प्रारूप होगा। इसका वर्णन अनुसूची-8 में दिया गया है जो इस प्रकार है-

प्रमाण पत्र और विस्तारित प्रमाण पत्र का प्रारूप ..... का न्यायालय

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना - पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील - जनपद-

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ-

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/- (एक लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :-
   (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   (ग) स्त्री या बालक
   (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   (च) औद्योगिक कर्मकार
   (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :-
   (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु नि:शुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
   (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता -

नाम -